न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/87/2018	18–06–2018	03–12–2018

1–इन्दरमल पुत्र श्री सुखराम जाति महाजन निवासी प्लॉट नम्बर 172 स्कीम नम्बर 1, आर्यनगर, अलवर।

–: अपीलान्ट

बनाम

1–नगर विकास न्यास जरिये अध्यक्ष, नगर विकास न्यास, अलवर जिला अलवर।
2–लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार, भू0अ0, अलवर जिला अलवर।
3–भूमि अवाप्ति अधिकारी नगर विकास न्यास, अलवर।

–: रेस्पाडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार अलवर का निर्णय दिनांक 24.06.1997 नामान्तकरण संख्या 107 ग्राम मूंगसका तह0 व जिला अलवर।

उपस्थितः–
01. श्री जे सी सतीजा –वकील अपीलान्टस
03. श्रीमति ममता दीक्षित –वकील रेस्पोडेण्ट्स

–:: निर्णय ::–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार अलवर के आदेश दिनांक 24.06.1997 जिसके द्वारा नामान्तकरण संख्या 107 ग्राम मूंगसका तहसील अलवर, जिला अलवर स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट व रेस्पोडेण्ट्स की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि सर्व प्रथम उक्त आदेश की जानकारी दिनांक 24.05.2018 को हुई। जिस पर अपील पेश की गई। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी दिनांक 22.01.1997 व 24.06.1997 तक एवं जानकारी की तिथि 24.05.2018 तक के समय को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी ना होने के कारण मियाद में कन्डोन किया जाना न्यायोचित है। जिस हेतु दफा 5 मियाद अधिनियम पृथक से पेश है। उक्त प्रार्थना–पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम दिनांक 29.10.2018 को स्वीकार किया गया। साबिक खसरा नम्बर 405/6 बीघा का 1/2 भाग तरफ पश्चिम वाके ग्राम मूंगसका तह0 अलवर अपीलांट के कब्जे काश्त की आराजी है। जिसका वर्तमान खसरा नम्बर 467/1.54 है0 है। उक्त आराजी पर अपीलांट वक्त खरीद दिनांक 25.02.1991 से आज तक काबिज हैं। अपीलांट द्वारा चार दिवारी का निर्माण किया हुआ है। बिजली संबंध भी स्थापित है। उक्त आराजी पर रैस्पो0 का कभी कब्जा नहीं रहा है। ना ही कोई मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है। ना ही रैफरेंस किया गया है। आलोच्य आदेश विधि विरूद्ध है। चूंकि ऐसा आदेश नवीन भूमि अर्जन, पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन, उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम

अतिरिक्त जिला कलैक्टर

2013 की धारा 24(2) के मुताबिक स्वतः ही व्यपगत (Lapse) हो गया है। जिस आधार पर रैस्पो0 1 व 3 के अवार्ड के आदेश, जो स्वतः ही समाप्त हो गया है, के आधार पर आलोच्य आदेश की पालना में जो आज्ञा रैस्पो0 संख्या 2 द्वारा दिनांक 24.06.1997 को पारित की है वह शून्य दस्तावेज के आधार पर इंतकाल संख्या 107 दर्ज व स्वीकार किया है जो खारिज योग्य है। नवीन भूमि अर्जन, पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन, उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के आधार पर रेस्पो 1 लगा0 3 का यह दायित्व था कि अपने नाम का अंकन डिलिट कराना चाहिए था। जो नहीं किया गया है अतः उक्त आदेश न्याय के सुस्थापित सिद्वांतों के विपरित होने के कारण निरस्त होने योग्य है।

अपीलांट अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि आलोच्य आदेश एक पक्षीय एवं अपीलांट को बिना सुने पारित किया गया है, जो निरस्त योग्य है। उक्त आराजी के आस–पास घनी आबादी है। ऐसी स्थिति में अवाप्ति की कार्यवाही निरर्थक है। रैस्पो0 1 व 3 की अवाप्ति की कार्यवाही सन् 1995 की बतलाई गयी है, जो पुराने भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के अन्तर्गत किया जाना पाया गया है, जिसको करीब 20 साल का समय हो चुका है। इस दौरान ना तो अवाप्तशुदा जमीन पर कब्जा लिया गया है और ना ही प्रतिकर की राशि का भुगतान किया गया है। वकील अपीलांट ने अपने कथन की पुष्टि में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय उनवानी मुकदमा वर्किंग फ्रेन्ड्स को–ओपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी बनाम द स्टेट पंजाब एण्ड अदर्स अपील संख्या 8468/2015, दिनांक 13.10.2015, उच्च न्यायालय राजस्थान जोधपुर द्वारा निर्णित सिविल रिट पीटीशन संख्या 6686/2005 विधासागर बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एवं अन्य 4 रिट दिनांक 19.05.2014, मननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णित पुणे मुंन्सिपल कारपोरेशन बनाम हरकचंद पेश की है। उक्त संबंध में न्यायालय हाजा द्वारा बउनवान रवि कुमार सबरवाल बनाम नगर विकास न्यास अलवर वगै0 अपील का निर्णय दिनांक 25.03.2015 को पेश किया है जिसमें अपील को स्वीकार किया गया है, साथ ही अपील संख्या 11/27/2016 निर्णय दिनांक 13.06.2017 पेश की है जिसमें अपील स्वीकार की गयी है। उक्त नजीरें इस प्रकरण पर पूर्णतः लागू पाई जाती है जिसमें नवीन भूमि अर्जन, पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन, उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 24(2) के प्रमाण से रैस्पो0 के पक्ष में शून्य अवार्ड मानते हुए इन्द्राज निरस्त कर दिया गया। इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश भी मंसूख किया जावें। रेस्पो0 द्वारा अवार्ड व भूमि अवाप्ति की कार्यवाही वेयर हाउस हेतु की गयी थी जिसका उद्देश्य किसानों को सीधा लाभ दिया जाना था। किन्तु रेस्पो0 द्वारा अपने निजी फायदे हेतु अवाप्ति उद्देश्य के खिलाफ विधि विरूद्ध उद्देश्य में परिवर्तन कर अपीलाधीन आराजी को वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु सुरक्षित किया गया है। उसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मिन अपीलांट द्वारा कय शुदा कब्जा काश्तकारी खातेदारी की आराजी को वाणिज्यिक उपयोग हेतु दिनांक 31.07.1992 को जिला उद्योग केन्द्र अलवर से अपना पंजीकरण श्री शगुन कन्टीनेट्स हेतु कराया गया। जिस हेतु भूउपयोग परिवर्तन की पत्रावली भी सक्षम अधिकारी के यहां पेश की गई। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.06.1997 को मंसूख फरमाया जावें तथा भूमि पुनः अपीलांट के नाम दर्ज की जावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया है कि आराजी का अवार्ड जारी किया जा चुका है। इंतकाल में वर्णित आराजी को अवाप्ति से मुक्त नही किया गया है बल्कि इस योजना में से कुछ आराजी को अवाप्ति आदेश आज भी बहाल है जब तक अवाप्ति आदेश बहाल है तब तक इंतकाल निरस्त नही किया जा सकता। अवाप्ति की कार्यवाही सक्षम न्यायालय द्वारा ही निरस्त की जा सकती है। इस न्यायालय को अधिकार नहीं है। इंतकाल सक्षम अधिकारी के आदेश से दर्ज हुआ है। जिसे निरस्त नहीं किया जा सकता। अतः अपील खारिज फरमायी जावें।

अतिरिक्त जिला कलैक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज०)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। जहां तक गुणावागुण का प्रश्न है अपीलांट ने यह अपील पेश कर मुख्य तर्क यह उठाया है कि विवादित भूमि का अपीलांट को कोई मुआवजा नहीं दिया गया है और न ही अवाप्तिधीन भूमि का लम्बे समय से कब्जा लिया गया है। जिससे भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 24 (2) के तहत यह अवार्ड स्वतः निरस्त योग्य है तथा उक्त अवार्ड की पालना में अपीलाधीन इंतकाल विधि विरूद्ध दर्ज किया गया है। रेस्पो0 ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह प्रमाणित होता हो कि विवादित भूमि का कब्जा रैस्पो0 संख्या 1 ने प्राप्त कर लिया हो और ना ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये गये जिससे यह साबित हो कि रेस्पो0 द्वारा मुआवजा राशि का भुगतान कर दिया गया हो और उसके लिए रैफरेंस कर रखा हो। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता अधिकार अधि0 2013 की धारा 24 (2) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार जहां भूमि अर्जन अधिनियम 1894 को अधीन आरम्भ की गयी एवं भूमि अर्जन के कार्यवाहियों के किसी मामलों में जहां उक्त अधिनियम 1894 की धारा 11 के अधीन इस अधि0 के प्रारम्भ की तारीख के पांच वर्ष के बराबर या उससे अधिक पूर्व अधिनिर्णय (अवार्ड) किया गया है, किन्तु भूमि का भौतिक कब्जा नहीं लिया गया है और न ही प्रतिकर का संदाय किया गया है वहां उक्त कार्यवाहियों के बारे में यह समझा जावेगा कि वह व्यपगत (Lapse) हो गयी और समुचित सरकार यदि ऐसा चाहती है तो वह इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि अर्जन की कार्यवाहियां नये सिरे से आरम्भ करेगी। हस्तगत प्रकरण में अवार्ड में वर्णित अनुसार प्रतिकार का भुगतान काश्तकार को करने अथवा रैफरेंस करने एवं भौतिक कब्जा बाबत नगर विकास न्यास द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। ऐसे में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर का S B Civil Writ Petition No. 6686/2005 एवं इससे जुड़ी 4 अन्य समान रिट याचिकाओं में पारित निर्णय दिनांक 19.05.2014 जिसके द्वारा अधिनियम 2013 की धारा 24 (2) के प्रावाधानों के तहत पूर्व अवाप्ति को व्यपगत (Lapse) माना गया है पूरी तरह लागू होता है। ऐसी स्थिति में उक्त वर्णित विधिक प्रावधानों एवं न्यायिक नजीरों के अनुसार इस अपील में भी अवाप्ति की कार्यवाही व्यपगत (Lapse) हो चुकी है। अतः अपील अपीलांट विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 405/6 बीघा का 1/2 भाग तरफ पश्चिम वाके ग्राम मूंगसका तहसील अलवर जिसका वर्तमान खसरा नम्बर 467 रकबा 1.54 है0 का 1/2 हिस्सा स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य पायी जाने योग्य होने से स्वीकार की जाती है। तहसीलदार अलवर द्वारा पारित इंतकाल संख्या 107 दिनांक 24.06.1997 वाके ग्राम मूंगसका में विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 405/6 बीघा का 1/2 भाग तरफ पश्चिम जिसका वर्तमान खसरा नम्बर 467 रकबा 1.54 है0 अपीलांट के हिस्से की सीमा तक निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार अलवर को रिकॉर्ड के साथ पालना हेतु भिजवायी जावें। इस न्यायालय की पत्रावली बाद पूर्ति दाखित दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03–12–2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ0पी0जैन) 03/12/18
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राजस्थान)